



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)

(An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. Of India)

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़/Regional office, Chandigarh

एससीओ/SCO NO. 72-73, सैक्टर 31-ए/SECTOR 31-A, चंडीगढ़/ Chandigarh

वेबसाइट/Web: <https://rochandigarh.kvs.gov.in>,

ई-मेल/E-Mail: kvsadmnchd@gmail.com

दूरभाष/Contact No. : 0172-2638031 (Admn. Section)

F. 160114/KVS(CR)/Admn./2023/11033+0/1129

Dated: 18.09.2023

कार्यालय आदेश


श्रीमती मोनिका, प्राचार्या, केंद्रीय विद्यालय, जलालाबाद का स्थानांतरण केंद्रीय विद्यालय, भानू (केविसं गुरुग्राम क्षेत्र) में होने के कारण कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निपटाने के संबंध में पूर्व में जारी आदेश पत्रांक 160114/KVS(CR)/Admn./2023/4136 to 4229 दिनांक 15.06.2023 को संशोधित करते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ एवं उस के आधीन समस्त केंद्रीय विद्यालयों एवं जीट चंडीगढ़ हेतु "आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी)" का पुनर्गठन निम्नवत है:

क्र.सं. S.No.	अधिकारी का नाम और पदनाम Name of Officer & Designation	कार्यरत स्थान Place of working	समिति में धारित पद	क्षेत्राधिकार
1.	श्रीमती स्वाती अग्रवाल, सहायक आयुक्त, Smt. Swaty Aggarwal, Assistant Commissioner, Mob: 8417142596	केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून KVS, Regional Office, Dehradun	पीठासीन अधिकारी Presiding Officer	To Inquire into the complaint of sexual harassment at work place against the officials at the Regional Office upto the level of SO (excluding FO) and against Principal, Vice Principal & HMs of the Region concerned.
2.	श्रीमती अनिता निझवान Smt. Anita Nijhawan Mob: 0982330337 Email ID: nijhawan.shikha@rediffmail.com	एन.जी.ओ. सदस्य NGO Member	सदस्या/Member	
3.	श्री पालिशह, प्राचार्य Dr. Paalishah, Principal Mob: 8723077124 E.mail ID: p4pali2u@gmail.com	केंद्रीय विद्यालय, सुरानुस्सी Kendriya Vidyalaya, Suranussi	सदस्य/Member	
4.	श्रीमती दीपिका संधू, प्राचार्या Smt. Deepika Sandhu Mob: 9418086960 Email ID: deepssandhu1971@gmail.com	केंद्रीय विद्यालय, जीरकपुर Kendriya Vidyalaya, Zirakpur	सदस्या/Member	

Contd.....P/2

पीठासीन अधिकारी के कार्य निम्नवत होंगे:

1. वे एन.जी.ओ. सदस्य एवं समिति के अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर जाँच की तिथि एवं समय निर्धारित करेंगे।
2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.08.1997 तथा कार्य स्थल पर महिलाओं का उत्पीडन संबंधी केस मेधा कोतवाल लेले एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुरूप जाँच करेंगे।
3. कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन की शिकायतों की जाँच सख्ती के साथ निर्धारित प्रक्रिया, अधिनियम में निर्धारित कालानुक्रम तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार के जाये।


18/09/2023
(प्रीति सक्सेना)
उपायुक्त

वितरण:

1. आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी) के सभी सदस्य।
2. संयुक्त आयुक्त(प्रशि.) व मुख्य सतर्कता अधिकारी, केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली के सूचनार्थ।
3. सहायक आयुक्त (सतर्कता), केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली के सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों एवं जीट के सूचनार्थ।
5. उपायुक्त एवं निदेशक, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जीट, चंडीगढ़ को सूचित किया जाता है कि यह समिति केविसं (मु.), नई दिल्ली के पत्रांक फा. सं.11-55/2000-केविसं (सतर्कता) पीटी.1/1311-1352 दिनांक 05/28.03.2019 के अनुसार केविसं जीट, चंडीगढ़ में कार्यरत महिला कर्मचारियों की शिकायत की जाँच भी करेगी।
6. प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ संभाग। इस कार्यालय आदेश के विषयवस्तु को अपने विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों में उनकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाही के लिए पावती सहित परिचालित करें। उचित पावती सहित विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को भी भेजे।
7. अनुभाग अधिकारी एवं वित्त अधिकारी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, चंडीगढ़ संभाग के सूचनार्थ।